

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन भोपाल -462006

क्रमांक 04 / 88 / आउशि / छा. / 2020
प्रति,

भोपाल दिनांक 01 / 12 / 2020


प्राचार्य,
समस्त शासकीय / अशासकीय
महाविद्यालय, मध्यप्रदेश

विषय:- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना / मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना में प्रवेश के पश्चात् विद्यार्थियों द्वारा पोर्टल पर आवेदन करने बावत्।

संदर्भ:- आयुक्त, तकनीकी शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश का अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक / 4 / शैक्ष. / एमएएमव्हीवाय / 2020 / 331 दिनांक 08.12.2020

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र में लेख है कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना / मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना में प्रवेश के पश्चात् विद्यार्थियों द्वारा पोर्टल पर योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन नहीं किया जाने की स्थिति में योजना का लाभ प्राप्त नहीं होता है जिससे आगामी वर्ष में संस्था में द्वितीय वर्ष की शिक्षण शुल्क एवं संस्था शुल्क की राशि के साथ-साथ प्रथम वर्ष की शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क की मांग की जाती है


अतः प्रथम वर्ष में प्रवेश होने के उपरांत योजना का लाभ प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को पोर्टल पर आवेदन पत्र भरने की सूचना देवे एवं योजना से संबंधित आवश्यक जानकारी संस्था के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें, ताकि कोई भी विद्यार्थी योजना के लाभ से वंचित न रहे।


(चन्द्रशेखर चालिम्बे)
अपर आयुक्त
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक 05 / 88 / आउशि / छा. / 2020
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक 01 / 01 / 2021

1. निज सहायक, आयुक्त, तकनीकी शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश को संदर्भित पत्र के संबंध में सूचनार्थ।
2. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश को इस के आशय के सूचनार्थ किया जाता है कि तत्काल अपने क्षेत्रांतर्गत आने वाले महाविद्यालयों को पत्र में उल्लेख अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित करें।


अपर आयुक्त
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश